कोर्ट–केस
अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ. लुज/एफ. डब्ल्यू./स्वा.का.पु./2018/1231 दिनांक : 14.5.18

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषयः मैदानी कार्यकर्ता/उच्च मैदानी कार्यकर्ता/कौलेरा वर्कर की सूचना भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय न्यायालय/अधिकरण के निर्णय/आदेशों की पालना में मैदानी कार्यकर्ता/उच्च मैदानी कार्यकर्ता/कौलेरा वर्कर को डी.बी. सं0 1068/14 श्री गोविन्द दान चारण के न्यायिक निर्णय दिनांक 17.12.15 के अनुरूप चयनित वेतन श्रृखंला/ए.सी.पी. स्वीकृत करने के निर्देश प्राप्त होने तथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार वित्तिय सलाहकार, मुख्यालय से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार चयनित वेतन श्रृखंला आदेश दिनांक 25.01.1992 के प्रावधानानुसार ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु0) पद पर रिडेजिग्नेट (पदाभिहित) किये जाने की तिथी से सेवा की गणना कर चयनित वेतन श्रृखंला/ए.सी.पी. का लाभ दिया जाना है। वर्तमान में इसी आधार पर न्यायिक निर्णयों की पालना में चयनित वेतन श्रृखंला/ए.सी.पी. स्वीकृत की जा रही है परन्तु मार्गदर्शन प्राप्त होने से पूर्व कतिपय न्यायिक प्रकरणों में कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथी (मैदानी कार्यकर्ता/उच्च मैदानी कार्यकर्ता/कौलेरा वर्कर) से सेवा की गणना कर चयनित वेतन श्रृखंला/ए.सी.पी. स्वीकृत की गई है जो प्राप्त मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में नियम विरुद्व प्रतीत हो रहे है।

अतः लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत/पदस्थापित ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु0) जो मैदानी कार्यकर्ता/उच्च मैदानी कार्यकर्ता/कौलेरा वर्कर पद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु0) पद पर रिडेजिग्नेट हुए है तथा जिन्हे उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर निर्णय की पालना में संशोधित चयनित वेतन श्रृखंला/ए.सी.पी. स्वीकृत की गई है, कि सूचना अविलम्ब भिजवाने का श्रम करे। यदि निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की कियान्विती अभी तक नही की गई है तो अग्रिम आदेशों तक कियान्विती को रोक दिया जावें।

इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ. लुज/एफ. डब्ल्यू./स्वा.का.पु./2018/1231 दिनांक :14.5.18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर।
2. वित्तिय सलाहकार, मुख्यालय।
3. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
5. समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की मेल आई.डी. एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर